न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—62/17 (2017/00112) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—लादुलाल पिता हजारी कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—महता पुत्री हजारी पत्नि मथुरालाल कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—पारसी पुत्री हजारी पत्नि सुवालाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—छग्गु पत्नि हजारी निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—बालु पिता श्रीराम कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—रामा पिता किशना कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—रालस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1—सुनील जैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2—मुकेश चोधरी — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 28.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम बोराणा में दर्ज आराजी नम्बर 1338, 1342, 3065, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3079, 3082, 3082, 3084, 3087, 3094, 3096, 3148, 3149, 3175, 3176, 3187, 3189, 3190, 3191, 3193, 3754, 3826, 3827, 3828, 3829, 3867, 3868, कुल किता 32 रकबा 5.50 है0 दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में अपना 1/4 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बोड्स के आधार पर विभाजन कराना चाहते है किन्तु विपक्षी 1 व 2 अपनी ताकत के बल पर रास्ते से लगी हुई भूमि पर अपना आधिपत्य कर हस्तानान्तरण करने पर आमाद है सो विपक्षीगणो के विरूद्व इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा की जावे की विभाजन से पूर्व विपक्षी भूमि हस्तान्तरण, निर्माण नही करे तथा प्रार्थीगणो को बेदखल नही कर शान्तिपूर्ण काश्त करने देवें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता मुकेश चोधरी की उपस्थिती में दिनांक 23.04.2017 को अन्तरिम आदेश जारी कर विपक्षीगणो को पाबंद किया गया था उसके बाद आदिनांक तक विपक्षी की और से कोई जवाब पेश नही हुआ जिससे विपक्षीगणों के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर जवाब बन्द किया गया और प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई अधिवक्ता द्वारा मूलवाद के ताफैसला तक विपक्षीगणों को भूमि हस्तान्तरण, निर्माण नही करे तथा प्रार्थीगणो को बेदखल नही कर शान्तिपूर्ण काश्त करने बाबत् पांबद किया जावें

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है जिनके क्षरा विभाजन का वाद पेश किया जो विचाराधीन है दिनांक 23.04.2017 को अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी उसके उपरान्त भी विपक्षी की और से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया इससे प्रमाणित होता है कि विपक्षीगण को इस बाबत् कोई आपत्ति नही है ऐसी स्थिति में प्रसतुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 23.04.2017 को जारी अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के ताफैसला तक विपक्षीगण भूमि हस्तान्तरण, निर्माण नही करे तथा प्रार्थीगण को बेदखल नही कर शान्तिपूर्ण काश्त करने दे एवं रेकार्ड और मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। उक्त पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.11.19

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.04 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: